

सेवा में,

श्रीमान् थानाधिकारी महोदय

पुलिस थाना चित्रकूट

जयपुर।

विषय :- अभियुक्तगण द्वारा XPO.ru के नाम से कूटरचित/फर्जी बेबसाईट बनाकर उच्च लाभ एवं बोनस का प्रलोभन देकर निवेश के नाम पर धोखाधडी कर प्रार्थीगण व उनके परिचितों की राशि हडपने के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि हम:-

- 1 मुबारक अली
- 2 मो0 आमिर सोहेल
- 3 मिर्जा राहत बेग
- 4 किशोर कुमार
- 5 अनिल कुमार शर्मा
- 6 पूजा गहलोत
- 7 देवी लाल
- 8 सुरेन्द्र कुमार वर्मा
- 9 आनंद राजेश सागरे
- 10 प्रदीप स्वामी
- 11 रामानन्द जमुना शाह
- 12 शेर सिंह राजपूत
- 13 अनिल खण्डेलवाल
- 14 हर्ष सैनी
- 15 मंगलेश कुमार शर्मा
- 16 नन्दू रेडकर
- 17 बिदामी
- 18 रेणु कच्छावा
- 19 विशाल राजेन्द्र वाघमरे
- 20 ललित लाटा
- 21 जितेन्द्र जांगिड

- 22 रोहिणी खलखो
- 23 गणेशा राम कुम्हार
- 24 अभय सिंह चौहान
- 25 मीनू कंवर
- 26 मजहर खान
- 27 सन्नी शर्मा
- 28 परवीन कुमार यादव
- 29 अनिल भीमराव पाटिल
- 30 परमानन्द बंशीवाल
- 31 सुरेश कुमार
- 32 सुहैल अहमद खान
- 33 सपकाले सुरेश बाबूराव
- 34 रुचि शर्मा पत्नि
- 35 सुनील मोतीलाल बिरारी

उपरोक्त पते के निवासी हैं। हम सभी लोग वर्ष 2023 में अलग अलग समय पर (1) रजत शर्मा पुत्र श्री राम शर्मा निवासी ग्राम पोस्ट सिंगोद कलां, तहसील चौमू जिला जयपुर ,(2) विजय मौर्य पुत्र श्री भानाराम मौर्य निवासी रैगर मोहल्ला,वार्ड न. 4 झुन्झुनू, (3) ईश्वर वर्मा पुत्र श्री सांवरमल वर्मा निवासी श्रीमालों का मोहल्ला वार्ड न. 35, झुन्झुनू, (4) सुरेन्द्र सैनी पुत्र श्री हजारि लाल निवासी बाछडी गुढागोरजी,बाछडी, जिला झुन्झुनू से मिले जिन्होने हमको XPO.ru नामक बेबसाइट प्लेटफार्म के बारे में बताया, जिनका ऑफिस फ्लेट नम्बर 401,वैशाली टावर द्वितीय, नर्सरी सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर में था। हमें जरिये व्यक्तिगत मुलाकात, सेमीनार, मीटींग, सोशल मीडिया प्रचार के माध्यम से बताया कि XPO.ru रूस की बेबसाइट/प्लेटफार्म है जो फोरेक्स, सी एफ डी, क्रिप्टोकॉरेंसी में ट्रेडिंग करती है जो साप्ताहिक 4 से 5 प्रतिशत तथा मासिक 10 से 15 प्रतिशत प्रोफिट देने का प्रलोभन देकर निवेश हेतु प्रेरित किया गया। हम लोग अभियुक्तगण के ऑफिस गये वहां इन्होने हमें XPO.ru नामक बेबसाइट/प्लेटफार्म पर निवेश का प्लान बताया और इसमें पैसा निवेश करने को बोला। अभियुक्तगण ने हमारा विश्वास जीतने के लिए अपने XPO.ru अकाउन्ट के कुछ प्रूफ दिखाए और अपने कुछ स्टेटमेंट दिखाए कि इसमें उच्च रिटर्न प्राप्त होता है।

अभियुक्तगण ने बताया कि यह एक इन्टरनेशनल ट्रेडिंग मंच है जो रूस में वर्ष 2016 से स्थापित है जो निवेश पर 10 से 15 प्रतिशत मासिक तक प्रोफिट देगा। अभियुक्तगण ने स्वयं को XPO.ru ब्रोकिंग कंपनी का प्रतिनिधि बताकर अत्यधिक लाभ (प्रतिमाह बोनस/रेफरल कमीशन) का आश्वासन दिया। अभियुक्तगण ने सेमीनार में मीटिंगों में अपने को XPO.ru ब्रोकिंग कंपनी का प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने का सर्टिफिकेट तथा इस वेबसाइट का भारत में

सक्षम प्राधिकरण के अन्तर्गत पंजीकृत होने का सर्टिफिकेट दिखाकर हमको विश्वास में लिया। अभियुक्तगण ने जयपुर हम लोगों के साथ मीटिंग रखी उसमें मुझे भी बुलाया, उन मीटिंगों में इन्होंने काफी भरोसा दिलाया एवं कुछ लोगों के प्रूफ दिखाए। अभियुक्तगण ने सेमीनार, मीटिंग में चिल्ला चिल्ला कर बोला कि आपका पैसा सुरक्षित निवेश है जो एक लॉक इन पीरियड के बाद वापस आ जायेगा उसकी हमारी गारंटी है, ये ऐसा व्यवसाय है जिसको आप, आपके बच्चे भी करेंगे। इसके पश्चात अभियुक्तगण ने XPO.ru नामक बेबसाइट के लिंक के माध्यम से वेबसाइट पर हम लोगों के खाते खुलवाये तथा केवाईसी के नाम पर हमारे पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड हमसे लिए। अभियुक्तगण के कहने पर हमने 2023 से इसमें निवेश करना शुरू किया तथा बाद में लाखों रूपये बाहर से लोन लेकर इसमें निवेश किये।

हम सभी ने अपने अपने काम के साथ XPO.ru नामक बेबसाइट पर निवेश का कार्य किया। लगभग 6 से 8 माह बाद अभियुक्तगण ने हमको केवल XPO.ru के लिए ही काम करने के लिए प्रोत्साहित किया और उसके लिए अभियुक्तगण ने एक एलाईट क्लब बनाकर उसमें हम सभी को सम्मिलित कर लिया, जिसमें हमको बताया कि आपके व्यवसाय के हिसाब से आपको अतिरिक्त इनकम होगी। हम सभी ने देखा कि सभी निवेशकों के खाते में प्रति सप्ताह प्रोफिट आ रहा है तो हमको भी XPO.ru बेबसाइट पर भरोसा होने लगा जिसके बाद हम सभी एलाईट मेंबर ने अपने अपने काम जो बेबसाइट ज्वाइन करने से पहले कर रहे थे उनको छोड़कर पूर्णरूप से XPO.ru बेबसाइट पर काम करने लगे। मीटिंगों में अभियुक्तगण ने बोला कि टीम बनाइये इससे आपको रैफरल इन्कम भी होगी। तब हमने अपने नीचे अपने रिलेशन वालों को, जानने वालों को, हमारे साथियों को बताया तो हमारे लोगों ने XPO.ru नामक बेबसाइट को ज्वाइन कर उसमें निवेश किया। अभियुक्तगण के कहने से अपने दोस्तों, परिचितों को अभियुक्तगण द्वारा आयोजित की जा रही मीटिंगों, सेमीनार का हिस्सा बनाया। उसके बाद हमारे नीचे टीम बनती चली गयी। इन सभी के नीचे अन्य काफी लोग जुड़ते चले गये और उन्होंने अभियुक्तगण के कहने से XPO.ru नामक बेबसाइट में बड़ी राशि निवेश की। टीम बनने पर अभियुक्तगण हम लोगों पर दबाव बनाकर अलग अलग टारगेट देने लगे कि इतनी राशि निवेश करने पर टीम को देश और विदेश में ट्यूर करायेंगे। अलग अलग स्कीम निकालने लगे कि इतनी राशि निवेश कराओगे तो आपको विदेश ट्यूर कराएँगे। ट्यूर का खर्चा एलाईट मेंबर को वहन करना पड़ेगा जब एलाईट मेंबर का इनकम से ज्यादा ट्यूर पर खर्चा होने का लगा तो सभी एलाईट मेंबर ने अभियुक्तगण से बात की तो अभियुक्तगण ने वर्ष 2030 तक का कमाई का रोड मैप दिखाया और कहा कि आप जो खर्चा कर रहे हैं वह आपको भविष्य में फायदा देगा हम लोग अभियुक्तगण के बिछाये मायाजाल में फंस गये और XPO.ru नामक बेबसाइट में निवेश कराते चले गये।

निवेशको को दुबई, थाईलैंड मलेशिया, हांगकांग, जैसलमेर, मनाली का ट्यूर कराया, कूज पर लेकर गये और कहा कि निश्चित होकर पैसा लगाओ जिससे ज्यादा पैसा कमा सको। उस विश्वास के आधार पर हमने व हमारी टीम ने काम किया। हमने अभियुक्तगण के कहने से

हमारे, परिवारजन, दोस्तों व हमारी टीम व उनके नीचे जुड़े हुए निवेशकों ने अलग अलग समय पर करोड़ों रुपये का इसमें निवेश कर दिया। नवम्बर 2025 से अभियुक्तगण ने निवेशकों को हमें ना तो लाभ मिला और ना ही मूलधन वापस किया गया। अभियुक्तगण ने षण्यंत्रपूर्वक एकराय होकर धोखाधड़ी की नीयत से हमको XPO.ru ब्रोकिंग कंपनी का प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने का कूटरचित सर्टिफिकेट तथा इस वेबसाइट का भारत में सक्षम प्राधिकरण के अन्तर्गत पंजीकृत होने का कूटरचित सर्टिफिकेट दिखाकर प्रार्थी व अन्य निवेशकों से एक बड़ी राशि निवेश करवाकर हडप कर धोखाधड़ी कारित की है। अब हमें जानकारी में आया है कि रजत शर्मा, विजय मौर्य, ईश्वर वर्मा व सुरेन्द्र सैनी द्वारा XPO.ru नामक वेबसाइट को वैध अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी होने का दावा किया गया तथा स्वयं को उनका ब्रोकर व प्रमोटर बताकर विश्वास में लेकर निवेश करवाया जबकि वास्तविकता में अभियुक्तगण ही उक्त वेबसाइट के निर्माता व नियंत्रणकर्ता है तथा ये अभियुक्तगण रैकेट चलाकर भारत में धोखाधड़ी कारित कर रहे हैं।

बहुत से निवेशकों ने अपनी राशि दूसरे निवेशकों के बैंक खाते में फोन पे व गूगल पे से डाल कर अपना निवेश किया था उसके बदले में कम्पनी ने उसके एक्सपीओ खाते में यूएसडीटी डाल दी थी परन्तु अब वे लोग अब जिनके खाते में पैसे डाले थे उनको धमकियां दे रहे हैं।

यह कि अभियुक्तगण हमारे व हमारी टीम के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करके फरार हो गये हैं तथा हमारी टीम के निवेशक जिन्होंने स्वयं की मर्जी से इसमें निवेश किया वे हमारे विरुद्ध केस करने व मारपीट की धमकियां दे रहे हैं।

अभियुक्तगण ने प्रार्थी व अन्य निवेशकों से प्राप्त राशि को USDT में परिवर्तित कर भारत से भारी मात्रा में धन विदेशों में भेजा है जो आर्थिक अपराध, अनाधिकृत स्कीम का संचालन कर अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, इनामी चिट फण्ड और धन परिचालन स्कीम(पाबन्दी) अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता व विदेशी विनिमय नियमों का उल्लंघन एवं राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध किये कृत्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं।

दिनांक 12.11.2025 को भरतपुर में इस प्रकरण के संबंध में पहले ही अभियुक्तगण के विरुद्ध मामला दर्ज कराया जा चुका है, जिसका एफ.आई.आर. नम्बर 703/2025 है। इसके बाद अभियुक्तगण के द्वारा हमें लगातार गुमराह किया गया और पहले 25 दिसम्बर 2025 उसके बाद 28 फरवरी 2026 तक का समय दिया गया। इस दौरान उन्होंने हमें यह कहकर भरोसे में लिया कि आप अपनी टीम को संभालो, हम सिस्टम को बचा लेंगे। अभियुक्तगण द्वारा हमें लगभग 4 महीने तक हमारे घर परिवार से दूर रखा गया जिससे हमें मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से अत्यधिक कष्ट झेलना पडा। हमारी टीम के अन्य सदस्यों के सामने हमें गलत साबित करने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर समूह बनाकर हमें बदनाम किया गया तथा हमारे विरुद्ध भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हम लोगों के विरुद्ध साजिश के तहत लोगों को उकसाया जा रहा है कि हमें पकड़ें,

हमारे घर जायें तथा हमारे परिवार को परेशान करें और पैसे की मांग करें जबकि प्रत्येक निवेशक ने अपने विवके एवं समझ से स्वयं निवेश किया है।

अभियुक्तगण के द्वारा हमारे व समस्त निवेशकों के साथ अपराध कारित किया है। निवेशकों के द्वारा हमें जान से मारने की धमकियां दी जा रहीं हैं तथा सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से हमें गाली गलौच कर बदनाम किया जा रहा है और आम जनता को हमारे विरुद्ध भडकाया जा रहा है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अभियुक्तगण द्वारा किये गये उक्त आपराधिक कृत्य के लिये हमारी रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें तथा अभियुक्तगण के द्वारा प्रार्थी व उसके परिवारजन व उसकी टीम से धोखाधड़ी पूर्वक निवेश करवायी गयी राशि बरामद करवा कर दिलवाने की कृपा करें तथा कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हम लोगों के विरुद्ध साजिश के तहत लोगों को उकसाया जा रहा है कि हमें पकड़ें, हमारे घर जायें तथा हमारे परिवार को परेशान करें और पैसे की मांग करें, सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से हमें गाली गलौच कर बदनाम किया जा रहा है और आम जनता को हमारे विरुद्ध भडकाया जा रहा है उक्त लोगों को पाबन्द करने की कृपा कर हम लोगों को व हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें।

जयपुर

हस्ताक्षर प्रार्थी/पेशकर्ता

दिनांक

1

2

3

4

